10 कृषि और ग्रामीण विकास का वित्तपोषण

10.1 आधार स्तरीय संस्थाओं के लिए ऋण

10.2 वित्तीय वर्ष 2022 में पुनर्वित्त

10.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

10.4 अन्य ऋण उत्पाद

10.5 भारत सरकार की योजनाओं की चैनलिंग

10.6 ग्रामीण ऋण से समृद्धि

अध्याय 10 के अनुबंध

"अंतरराष्ट्रीय ऋण देने वाले बैंकों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां निजी निवेश नहीं होता है, जैसे आधारभूत संरचना परियोजनाएं, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन."

—जोसेफ स्टिगलिट्ज़

समय के साथ हमने अपने ऋण पोर्टफोलियो और ऋण उत्पादों (पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष ऋण) को सामान्य ग्रामीण समुदायों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया है. हमारी पुनर्वित्त नीति और अन्य ऋण उत्पाद कृषि व अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के आधारस्तरीय ऋण प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं.

आधार स्तरीय ऋण प्रवाह (जीएलसी) में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा किए गए प्रयासों के कारण वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान विशेषकर कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण बढ़ा जिससे खाद्यान्न और बागबानी उत्पादन में वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण बकाया में 9.9% की वृद्धि हुई. वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अनुमानित प्राथमिकता प्राप्त ऋण संभाव्यता ₹42.3 लाख करोड़ है (जिला-वार संभाव्यतापूर्ण ऋण योजनाओं के समेकन के आधार पर), जिसमें से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹18 लाख करोड़ का आकलन किया गया है.

इस अध्याय में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) के साथ नाबार्ड के पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त व्यवसाय के संबंध में चर्चा की गई है. इस अध्याय में नाबार्ड के विभिन्न उत्पादों और निधियों नामतः अल्पावधि-दीर्घावधि (एसटी और एलटी) पुनर्वित्त, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ़), सरकारी योजनाओं के संचालन और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी विशेष प्रकाश डाला गया है.

10.1 आधार स्तरीय संस्थाओं के लिए ऋण

नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफ़आई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के माध्यम से, उनके ग्रामीण ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जारी किए गए ऋणों के समक्ष प्रदान की जाती है (चित्र 10.1). सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को अधिप्राप्ति (अल्पावधि) और आधारभूत संरचना परियोजनाओं (दीर्घावधि) के लिए सीधे ऋण प्रदान किए जाते हैं. कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले आधार स्तरीय ऋण में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रदत्त अल्पावधि (कार्यशील पूंजी) और दीर्घावधि निधियां (पूंजी निर्माण के लिए), दोनों शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2004 से भारत सरकार केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) के लक्ष्यों की घोषणा करती है. वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीएलसी का लक्ष्य ₹18 लाख करोड़ है. वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ने ₹16.5 लाख करोड़ के लक्ष्य से 3% बेहतर प्रदर्शन करते हुए ₹17.1 लाख करोड़[1] राशि के आधार स्तरीय ऋण जारी किए. इसके बावजूद, औपचारिक ऋण वितरण के वर्तमान स्तर ने मुश्किल से एक-चौथाई ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाई है. यह दर्शाता है कि एक बड़े वर्ग को ऋण सुविधा के दायरे में लाने[2] की आवश्यकता है.

चित्र 10.1: आधार स्तर पर ऋण आवश्यकताओं की विविधता

चित्र 10.2: किसान क्रेडिट कार्ड (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

नोट: केसीसी=किसान क्रेडिट कार्ड, आरसीबी=ग्रामीण सहकारी बैंक; आरआरबी=क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.

कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण वितरण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उपयोगकर्ता को इससे कई लाभ होते हैं – यह कार्ड 5 वर्षों तक वैध होता है और इसके लिए बार-बार दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं होती; इसके उपयोग में लचीलापन होता है, निधियों तक आसान पहुंच होती है, ब्याज का कम बोझ होता है और लेन-देन की लागत भी कम रहती है. वित्तीय वर्ष 1999 में इसके आरंभ से लेकर अब तक इसे अधिक लचीला और लाभकारी बनाने के लिए इसमें कई बार परिवर्तन किए गए हैं. हाल ही में पशुपालक और मत्स्यपालक किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान की गई थी (चित्र 10.2). भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2021 को आरंभ किए गए जिला-स्तरीय विशेष केसीसी अभियान के अंतर्गत पशुपालक और मत्स्यपालक किसानों को 4% के अधिकतम ब्याज (समय पर चुकाए जाने पर) पर अल्पावधि ऋण दिया जा रहा है.

10.2 वित्तीय वर्ष 2022 में पुनर्वित्त

10.2.1 ग्रामीण ऋण-प्रवाह में वृद्धि के प्रयास (वित्तीय वर्ष 2022)

1. कृषि आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत फ़सलोपरांत प्रबंधन आधारभूत संरचना और सामुदायिक कृषि आस्ति परियोजनाओं के लिए निधिपोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022 में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) और नाबार्ड की सहायक कंपनियों के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना आरंभ की गई थी.
2. एथेनोल आसवन क्षमता को बढ़ाना अथवा फीड स्टॉक (चावल, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, गन्ना, चुकंदर आदि) से पहली पीढ़ी के एथेनोल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज़ की स्थापना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इस प्रयोजन से ब्याज सहायता के प्रबंधन

के लिए भारत सरकार की योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है. नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमों और राज्य सहकारी बैंकों को परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए.

3. वित्तीय वर्ष 2022 में किए गए उपायों के फलस्वरूप मौसमी कृषि परिचालनों (अल्पावधि-मौकृप) के लिए अल्पावधि ऋण संवितरण सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा, जिसमें नाबार्ड ने -
   क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण में सुधार करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का पालन करते हुए अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निधि और दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ़) के 25% हिस्से का आबंटन ऋण से वंचित जिलों के लिए किया;
   ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सीआरएआर,[3] निवल अनर्जक आस्तियों[4] और निवल लाभ से संबंधित प्राथमिक पात्रता मानदंडों में छूट दी और एनबीडी1 से एनबीडी7 की आंतरिक जोखिम रेटिंग वाले सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान किया;
4. बैंकों को दी गई 2% ब्याज सहायता के अलावा नाबार्ड ने ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30 जून 2021[5] तक चुकौती हेतु बढ़ाई गई अवधि के लिए किसानों द्वारा समय पर चुकौती करने पर प्रोत्साहन के रूप में 3% ब्याज सहायता प्रदान करने के दिशानिर्देश जारी किए. इस योजना से यह सुनिश्चित हुआ कि किसानों ने बिना दंडात्मक ब्याज[6] के सामान्यत: 7% की सामान्य दर की तुलना में 4% की दर से अल्पावधि फसल ऋण प्राप्त किया.
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्य बनाने और उन्हें ग्रामीण जनता की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से उनकी शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 की धारा 39 के साथ पठित धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकारों को चुकौती योग्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने नई योजना की सूचना दी है.

10.2.2 वित्तीय वर्ष 2022 में पुनर्वित्त के रुझान

मुख्यत: उपर्युक्त प्रयासों के कारण नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता वित्तीय वर्ष 2021 (चित्र 10.3-10.5) के दौरान वितरित ₹2.2 लाख करोड़ में लगभग 20% की प्रभावशाली वृद्धि करते हुए ₹2.7 लाख करोड़ हो गई. अल्पावधि-अन्य (143.7%), अतिरिक्त अल्पावधि-मौकृप (64%) और दीर्घावधि पुनर्वित्त (25.1%) में भारी वृद्धि दर्ज की गई. पुनर्वित्त के स्थानिक मानचित्रण से पता चलता है कि वर्ष 2022 के दौरान पुनर्वित्त बढ़ा है और यह वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में अधिक साम्यपूर्ण रहा है. अल्पावधि पुनर्वित्त के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुनर्वित्त की वृद्धि दर अधिक रही तथापि दीर्घावधि पुनर्वित्त में पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल में अधिक वृद्धि दर्ज की गई.

चित्र 10.3: दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता (₹ करोड़)

प्रभाव

ग्रामीण परिवारों द्वारा निवेशों में वृद्धि से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, अस्थिर मौसम से सुरक्षा होगी, संकटों का सामना करने की सहन क्षमता, आय में स्थिरता आएगी.

आधार स्तरीय ऋण प्रवाह की वृद्धि और प्रवाह में सहायता तथा वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने वाली प्रगति के लिए सहायता

एसएलएफ़ : महामारी के दौरान किसानों द्वारा बिना किसी बाधा के खेती से संबंधित कार्य करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता सुनिश्चित की गई जिसके कारण अच्छी फसल हुई

एएसएलएफ़ : छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों को महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए उनकी मदद की गई

आंध्र प्रदेश सरकार को प्रदत्त सहकारी ऋण संरचना में पूंजी लगाने के लिए सहायता प्रदान की गई

क) वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एसएलएफ़ को एसएलएफ़2 के रूप में संदर्भित किया गया है और इस सुविधा को अल्पावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2021 में एसएलएफ़ के उप-घटक थे : आरसीबी, आरआरबी और एनबीएफ़सी-एमएफ़आई.

वित्तीय वर्ष 2022 एसएलएफ़2 के उप-घटक हैं : आरसीबी, आरआरबी, एससीएआरडीबी, एनबीएफ़सी-एमएफ़आई और एसएफ़बी.

नोट:

1. एएसएलएफ़ = अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा; एलटी = दीर्घावधि; एलटीआरसीएफ़ = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि, एमएफ़आई = सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ, एनबीएफ़सी = गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पीएसीएस = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, आरसीबी = ग्रामीण सहकारी बैंक, आरआरबी = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्य बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसएलएफ़ = विशेष चलनिधि सुविधा, एसटी = अल्पावधि, एसटी-एसएओ = मौसमी कृषि परिचालन के लिए अल्पावधि ऋण
2. एसएलएफ़ की उपलब्धि को अतिरिक्त अल्पावधि-मौकृप, अल्पावधि-मौकृप और दीर्घावधि-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अंतर्गत शामिल किया गया.

चित्र 10.4: राज्य-वार दीर्घावधि पुनर्वित्त

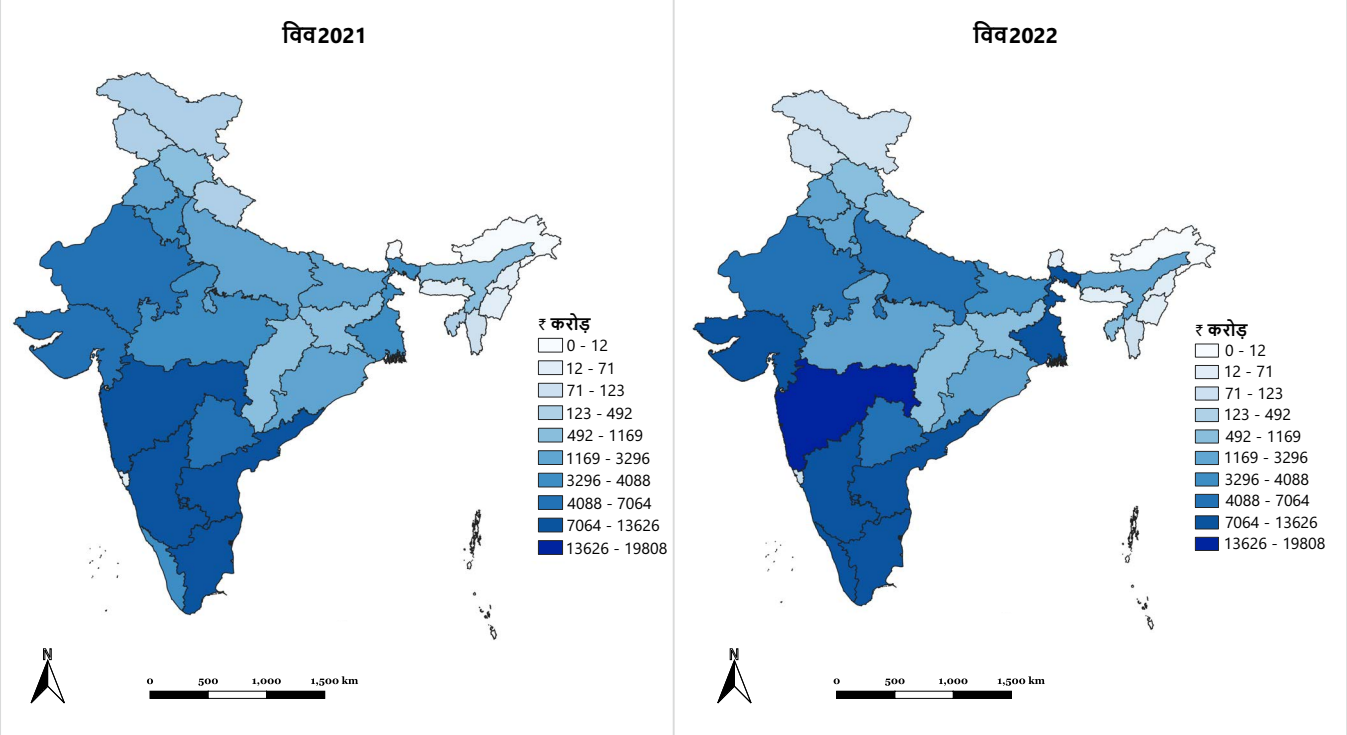

चित्र 10.5: राज्य-वार अल्पावधि पुनर्वित्त

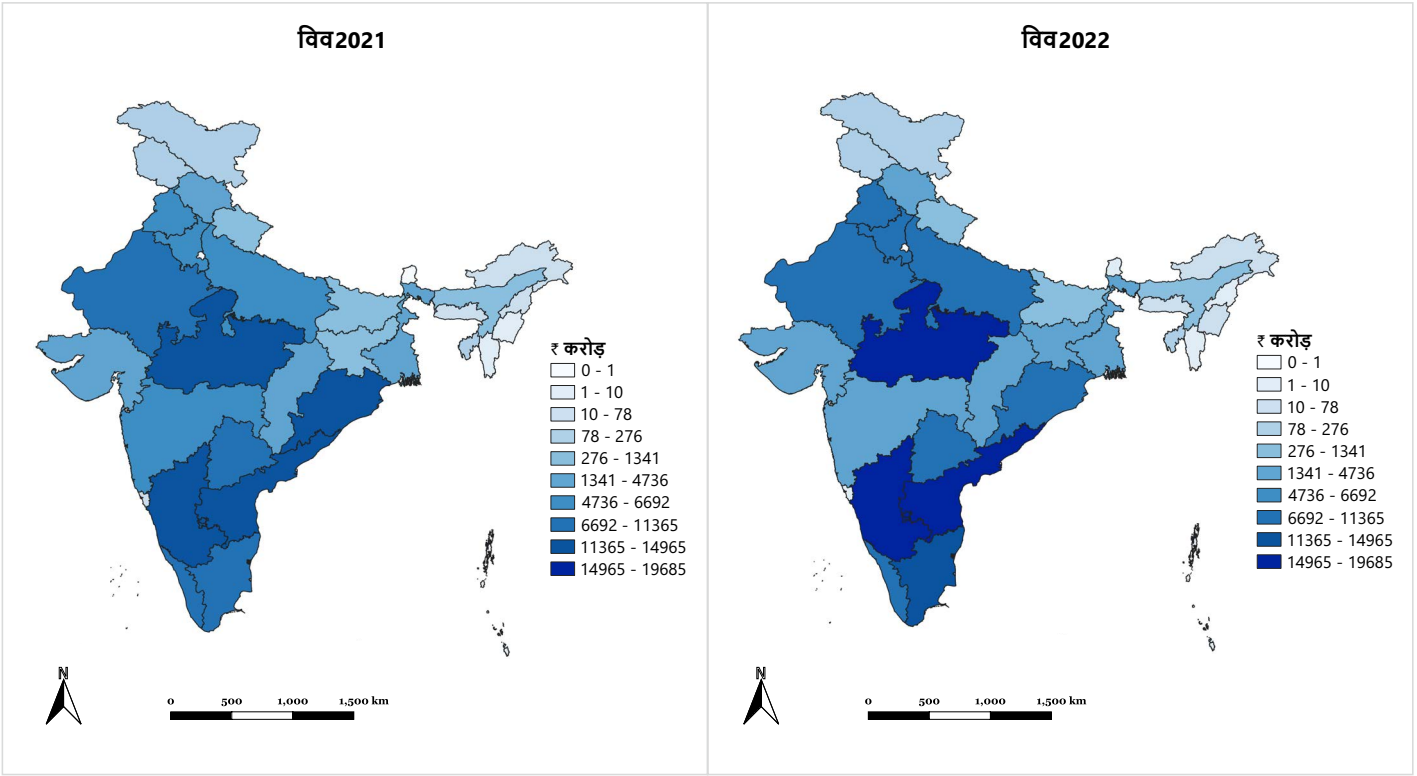

10.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और उसकी प्रगति में तेज़ी लाकर जनता के लिए अवसरों के द्वार खोलने का भारत सरकार का संकल्प नाबार्ड द्वारा दशकों से किए जा रहे अथक प्रयासों में साकार होते हुए देखा जा सकता है. नाबार्ड वृहद आधारभूत संरचना निधियों का प्रबंधन और उनके प्रवाह की चैनलिंग करता है, उन निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए यह निगरानी भी करता है कि उन निधियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है. अध्याय 6 में हमने आधारभूत संरचना के ग्रामीण जीवन पर हुए प्रभाव की चर्चा की है, यहाँ हम वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इन निधियों के आकार, प्रवाह, बल और परिचालनों के स्वरूप पर ध्यान देंगे (तालिका 10.1, चित्र 10.6-10.12).[7]

तालिका 10.1: महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना निधियों की मंजूरी और संवितरण (₹ करोड़ में)

प्रयोजन	*वित्तीय वर्ष 2022*	
	मंजूरी	*संवितरण*
आरआईडीएफ़	46,073	33,883
एलटीआईएफ़	801	3,197
एमआईएफ़	-	256
नीडा (एनआईडीए)	8,125	7,136
डीआईडीएफ़	364	119
एफ़आईडीएफ़	912	172

नोट: डीआईडीएफ़ = डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि; एफ़आईडीएफ़ = मत्स्यपालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि; एलटीआईएफ़ = दीर्घावधि सिंचाई निधि; एमआईएफ़ = सूक्ष्म सिंचाई निधि; एनआईडीए = नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता; आरआईडीएफ़ = ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि.

चित्र 10.6: वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि का उपयोग

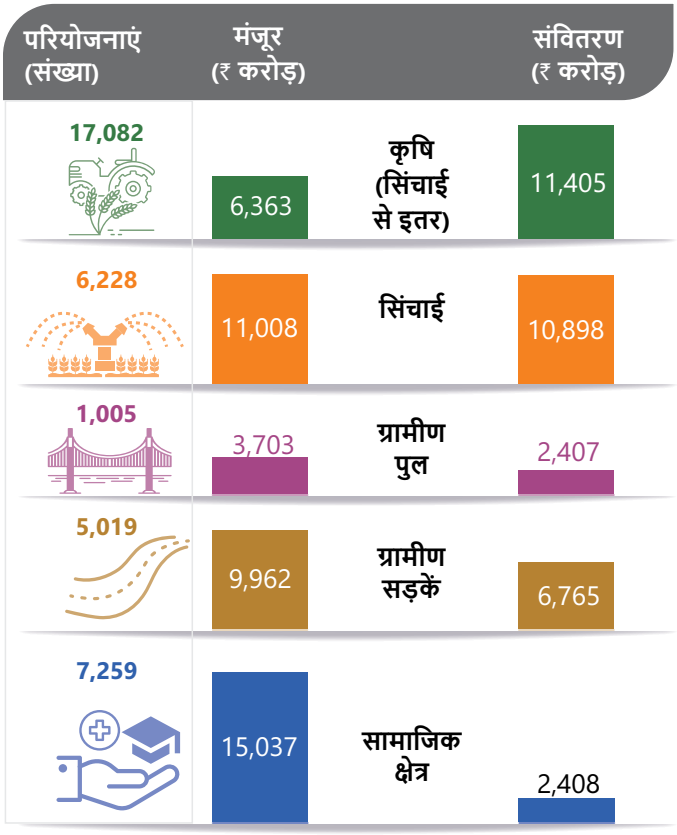

नोट:

1. चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है

चित्र 10.7: ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की क्षेत्र-वार मंजूरियाँ (₹ करोड़ में)

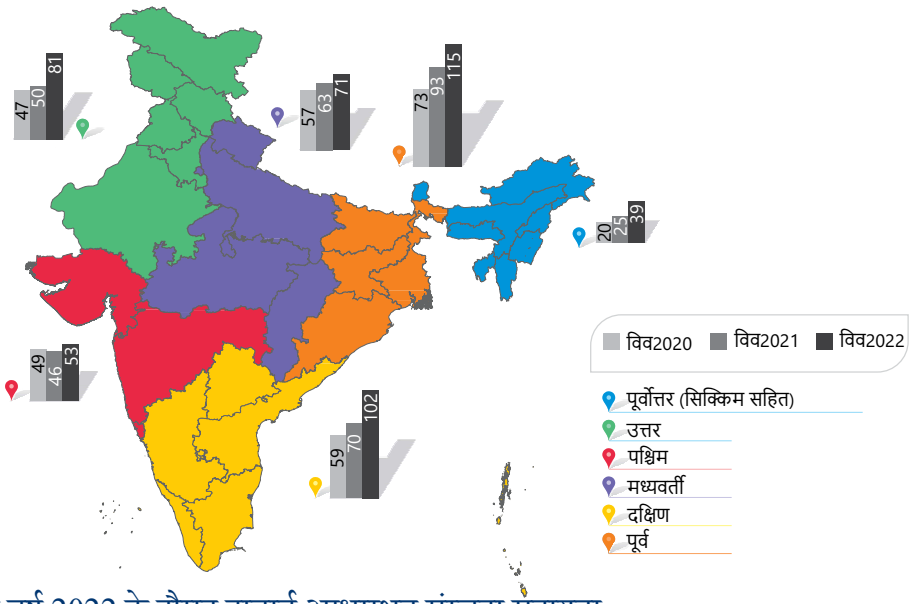

चित्र 10.8: वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान नाबार्ड आधारभूत संरचना सहायता

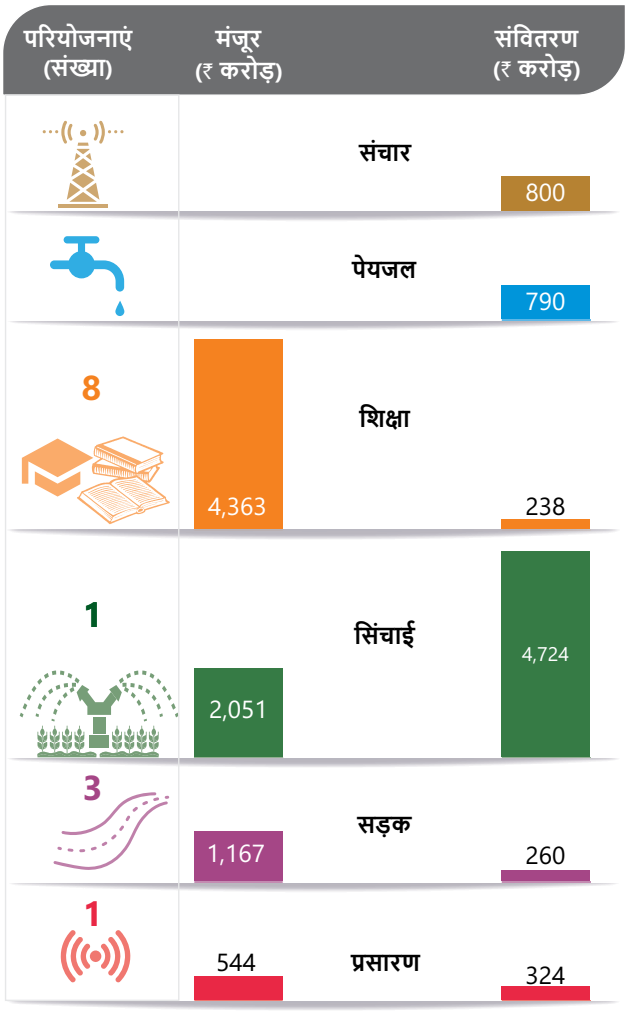

नोट:

1. वित्तीय वर्ष 2022 में नीडा के अंतर्गत संचार अथवा पेयजल के लिए कोई मंजूरियाँ अथवा परियोजनाएं नहीं हैं.
2. चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है.

चित्र 10.9: खाद्य प्रसंस्करण निधि (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

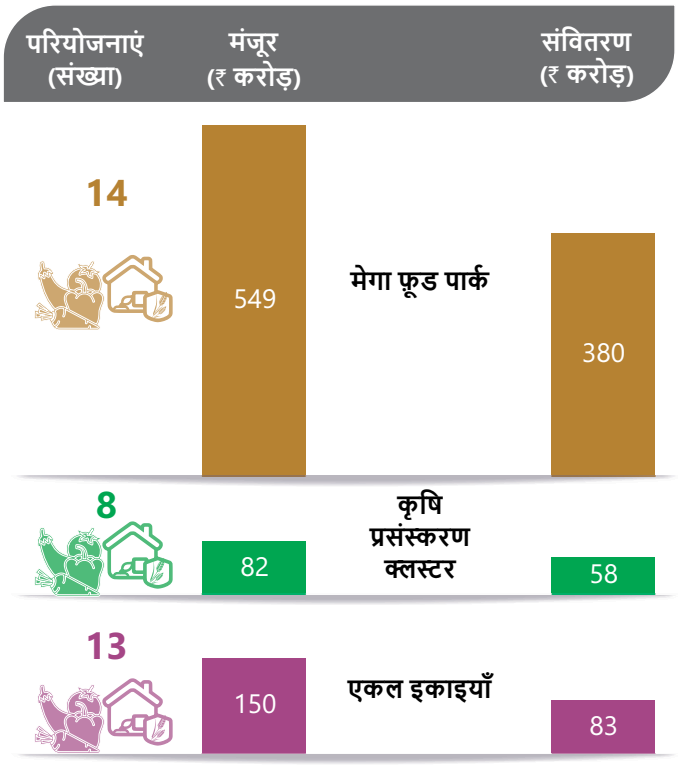

नोट: चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है

चित्र 10.10: खाद्य प्रसंस्करण निधि की मंजूरी और संवितरण, वित्तीय वर्ष 2020-2022 (₹ करोड़ में)

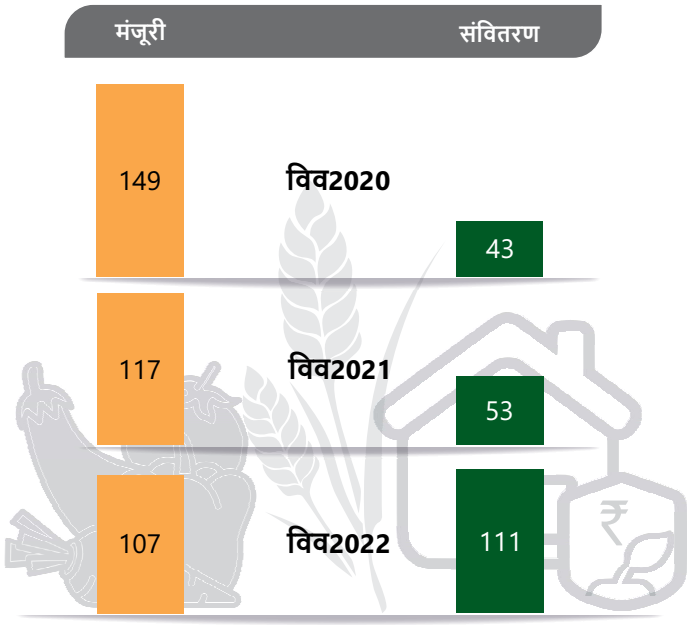

नोट: चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है

चित्र 10.11: भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के तहत मंजूरी और संवितरण, वित्तीय वर्ष 2020-वित्तीय वर्ष 2022 (₹ करोड़ में)

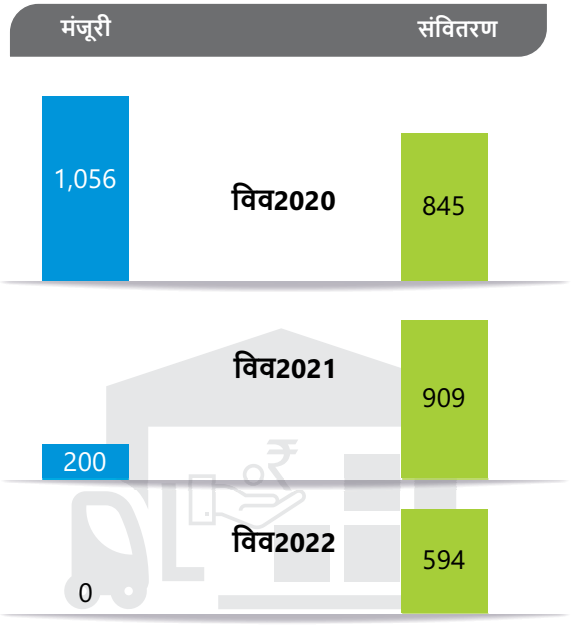

नोट:

1. विव 2022 में पूरी समूह निधि का उपयोग हो गया.
2. चूंकि संवितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाता है इसलिए संवितरण की राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की परियोजना की राशि शामिल हो सकती है

चित्र 10.12: 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के तहत क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन (परियोजनाओं की संख्या, '000 टन में क्षमता, मंजूरी व संवितरण ₹ करोड़ में)

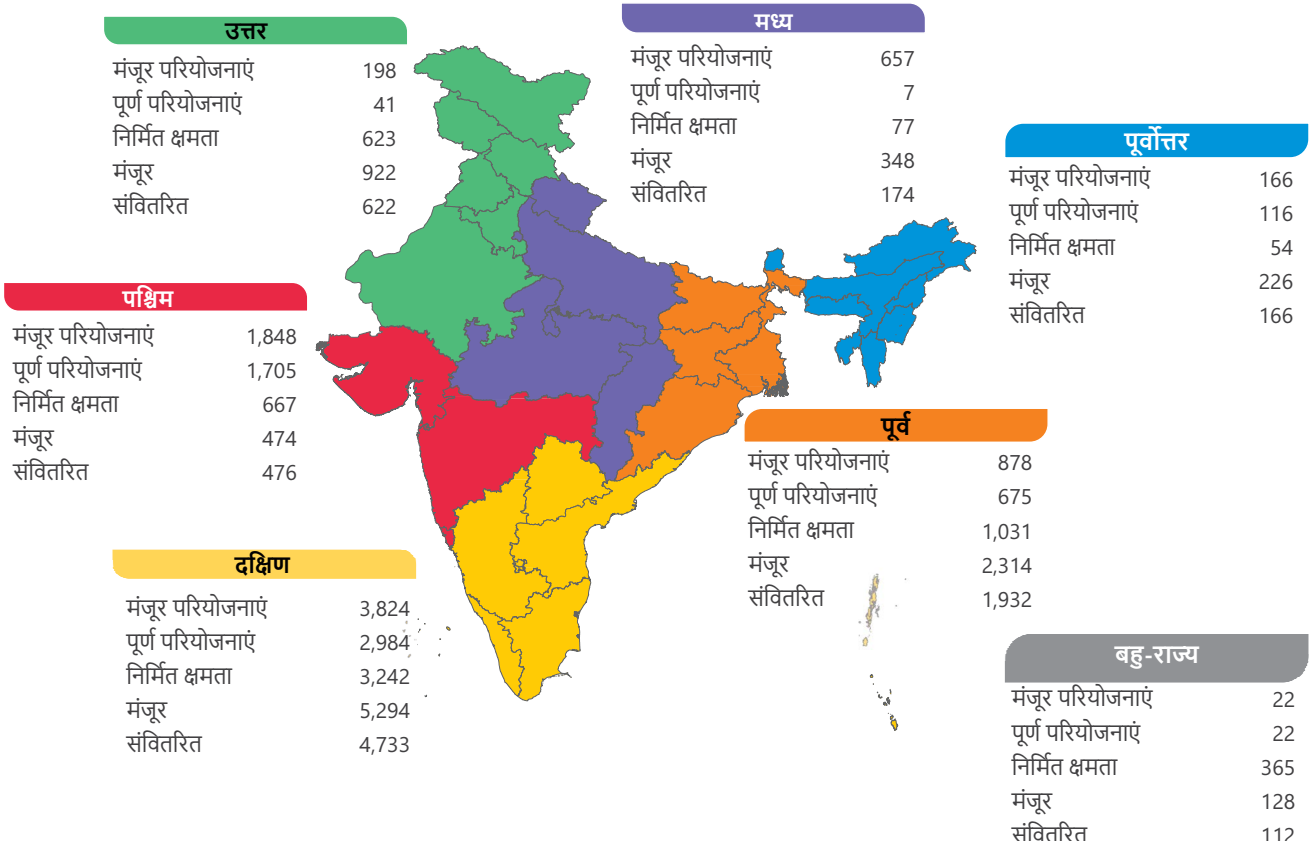

10.4 अन्य ऋण उत्पाद

10.4.1 महासंघों को ऋण सुविधा

महासंघों को ऋण सुविधा (सीएफ़एफ़) के माध्यम से कृषि विपणन महासंघों, सिविल आपूर्ति निगमों, डेयरी सहकारी संस्थाओं/ दूध यूनियनों/ महासंघों आदि को निविष्टियों की आपूर्ति, बीज प्रसंस्करण, अधिप्राप्ति, विपणन और कृषि तथा सम्बद्ध पण्यों की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है. कई राज्यों के किसान इस ऋण सुविधा से लाभान्वित हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान सीएफ़एफ़ के अंतर्गत कुल मंजूरी ₹36,435.8 करोड़ और संवितरण ₹46,434.3 करोड़ रहा.

उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ₹5,500 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹8,300 करोड़ की राशि संवितरित की गई. महासंघ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)[8] पर धान की अधिप्राप्ति के लिए इस प्रकार की सुविधा 2013 से ले रहा है. वार्षिक निधि की आवश्यकता में सीएफ़एफ़ की हिस्सेदारी 28% होती है. धान के लगभग 21 लाख किसानों को इस सुविधा से लाभ हुआ है और 72 घंटों में ऑनलाइन अंतरण के माध्यम से उन्हें राशि प्राप्त हुई है.

10.4.2 जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता

कृषि और कृषीतर गतिविधियों को सहायता प्रदान करने हेतु 'ए' अथवा 'बी' श्रेणी के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए) उपलब्ध है. प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए) के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को सहकारी और निजी चीनी मिलों को गिरवी रखने की सीमा के समक्ष कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए अनुमति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2022 में डीआरए के अंतर्गत ₹18,521 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी.

10.5 भारत सरकार की योजनाओं की चैनलिंग

नाबार्ड, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं जैसे ब्याज सहायता योजनाओं और ऋण-सहबद्ध पूंजी सब्सिडी योजनाओं (तालिका 10.2) के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य करता है.

तालिका 10.2: केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित और नाबार्ड द्वारा प्रशासित/ संचालित योजनाएँ

योजना	*प्रयोजन*	*राशि (₹ करोड़)*	*अभ्युक्तियाँ*
	वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ब्याज सहायता योजनाएँ		
फसल ऋण, पशुपालन और मत्स्यपालन के लिए ब्याज सहायता योजना	जो किसान अपने केसीसी ऋणों की समय पर चुकौती करते हैं उन्हें 4% की ब्याज दर पर फसल ऋण देना.	7,181.1	सस्ता ऋण, समय पर चुकौती के लिए प्रोत्साहन, फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
दीनदयाल अंत्योदय योजना – एनआरएलएम के अंतर्गत ब्याज सहायता योजना	250 चयनित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को 7% की दर से ₹3 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराना और जो समय पर चुकौती करते हैं उनके लिए 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना	694.5	सुदृढ़ और संघीय महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी में कमी तथा वित्तीय सेवाओं और आजीविका की शृंखला तक पहुँच बनाना
	चीनी की खेती करने वाले किसानों के लिए योजनाएँ		
एथेनोल मिश्रित पेट्रोल हेतु एथेनोल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता	चीनी मिलों में चलनिधि की स्थिति में सुधार, विशेषकर अधिशेष उत्पादन के मौसम में, ताकि किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो.	132.4	गन्ने के रिकार्ड उत्पादन (400 मिलियन टन) के कारण एथेनोल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई. साथ ही भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनोल के मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है.
चीनी सुलभ ऋण योजना 2018-19	किसानों को गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए चीनी मिलों को ऋण प्रदान करना.	294.6	किसानों को वित्तीय वर्ष 2019 के चीनी मौसम में गन्ने की बकाया राशि का भुगतान जिससे गन्ने के बकाया मूल्य में कमी आई.

नोट: केसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड; एनआरएलएम = राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; एसएचजी = स्वयं सहायता समूह.

नाबार्ड केंद्र सरकार की विभिन्न ऋण-सहबद्ध सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत पात्र बैंकों को प्राथमिक रूप से कृषि परियोजनाओं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है (तालिका 10.3 और शोकेस 10.1).

तालिका 10.3: 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पूंजी सब्सिडी योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन

योजना	*एनएलएम ईडीईजी*	*एसीएबीसी*	*नई एएमआई*	*पुरानी एएमआई*	*एनपीओएफ़*
			वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान		
इकाइयां (संख्या)	6,672	301	849	5	-
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	71.5	13.5	155.1	6.6	-
			31 मार्च 2022 को संचयी कार्यनिष्पादन		
इकाइयां (संख्या)	1,11,793	3,190	2,073	42,259	717
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	972.8	121.3	330.8	4,465.5	28.8

नोट:

1. एसीएबीसी योजना = एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस केंद्र योजना; एएमआई = कृषि विपणन आधारभूत संरचना; एनएलएम ईडीईजी = राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन; एनपीओएफ़ = जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना.
2. ग्रामीण गोदाम योजना, कृषि विपणन आधारभूत सुविधा ग्रेडिंग और मानकीकरण योजना और कृषि विपणन आधारभूत सुविधा योजना के तहत 42,259 इकाइयों के माध्यम से 608.4 लाख टन वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया जिसके लिए ₹4,465.5 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई.
3. नई एएमआई योजना के अंतर्गत 61.1 लाख टन वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की 2,073 इकाइयों का निर्माण जिसमें ₹330.8 करोड़ की सब्सिडी शामिल है.
4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन ईडीईजी के अंतर्गत 1.1 लाख इकाइयों के लिए ₹972.8 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई.

शोकेस 10.1: एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर, कनकपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश के लिए एसीएबीसी ऋण

उद्योग: एग्री-क्लिनिक और एग्री-बिजनेस सेंटर, कनकपुर, गोंडा

मालिक: अरुण कुमार सिंह, बीएससी (कृषि), नंदिनी नगर महाविद्यालय, गोंडा; दिसंबर 2014 में नोडल प्रशिक्षण संस्थान से एसीएबीसी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, श्री मा गुरु ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, लखनऊ; अक्तूबर 2021 में पुनश्चर्या प्रशिक्षण.

वित्तीय सहायता

- 2015: प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से ₹1.8 लाख की सब्सिडी की मंजूरी के साथ ₹5 लाख की परियोजना लागत के समक्ष एसीएबीसी ऋण.
- 2021: प्रथमा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से ₹5.4 लाख की सब्सिडी की मंजूरी के साथ ₹17.25 लाख की परियोजना लागत के समक्ष एसीएबीसी ऋण.

उत्पाद: बीज, कीटनाशक, उर्वरक, बैटरी पर चलने वाले तथा हस्तचालित स्प्रे पंप जैसी कृषि-निविष्टियाँ और कृषि-सामग्री

ग्राहक आधार: 30 गांवों के 2,000 किसान

औसत मासिक बिक्री: ₹4 लाख

भविष्य की योजनाएं: कृषि मशीनों की आपूर्ति और भंडारागार सेवाओं के रूप में विस्तार

10.6 ग्रामीण ऋण से समृद्धि

नाबार्ड का उद्देश्य ऋण को आसानी से और व्यापक रूप से उपलब्ध कराना है. ऋण से वंचित जिलों में पुनर्वित्त के प्रवाह की निगरानी; वर्तमान और नए साझेदारों के माध्यम से पुनर्वित्त का विस्तार; लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) और एनबीएफ़सी-एमएफ़आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सीधे जुड़ने और विशेष पुनर्वित्त योजनाओं की डिजाइनिंग और संवर्धन पर ज़ोर दिया जाएगा.

कुल भूजोत के 86% का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को निवेश ऋण का लाभ उठाने के लिए अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन और खेती से संबंधित गतिविधियों के विविधीकरण में वृद्धि होगी. अल्पावधि ऋणों का उद्देश्य किसानों की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करना है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष में उत्पादन चक्र पूरा करने में मदद मिल सके.

आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को समय पर ऋण की आवश्यकता होती है. ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने पर नाबार्ड वित्तपोषण सहायता को और बेहतर करेगा ताकि राज्य सरकारें अपने बजटीय प्रावधानों को पूरा कर सकें. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समितियों और क्षेत्रीय तथा राज्य-

स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष और सतत संपर्क किया जाएगा. नीतिगत रूप से राज्यों को, बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कहा जाएगा. दीर्घावधि सिंचाई निधि व्यवस्था में राज्य के हिस्से को वित्तीय वर्ष 2026 तक जारी रखने के लिए भी नाबार्ड ने प्रस्ताव दिया है. खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत, लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) और क्षेत्रा बैंकों के साथ कार्यशील ऋण देने का प्रयास किया जाएगा. राज्यों के साथ एक मज़बूत साझेदारी का निर्माण कर पूंजी निवेश में वृद्धि करने में नाबार्ड राज्यों की सहायता करेगा.

ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए हमारे अथक प्रयास जारी रहेंगे.

नोट

1. वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जीएलसी डाटा अनंतिम है.
2. भारत सरकार (2021), अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 2019, एनएसएस, 77वां दौर, जनवरी से दिसंबर 2019, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार https://www.mospi.gov.in/documents/213904/301563//Report%20no.%20588-AIDIS-77Rm-Sept1631266545010.pdf/112ee4b2-b859-4618-a7a2-8e42f6f0abad
3. सीआरएआर = जोखिम भारित आस्ति के समक्ष पूंजी अनुपात.
4. एनपीए = अनर्जक आस्ति.
5. 30 जून 2021 अथवा चुकौती की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो.
6. किसानों के द्वारा समय पर चुकौती के लिए 3% का प्रोत्साहन है और बैंकों के लिए 2% सहायता है. फसल ऋण पर ब्याज की दर 7% है. समय पर चुकौती के लिए 3% के प्रोत्साहन के साथ किसानों के लिए प्रभावी दर 4% है.
7. नाबार्ड आधारभूत संरचना निधियों से संबंधित विवरणों के लिए कृपया चित्र 6.1 देखें.
8. एमएसपी = न्यूनतम समर्थन मूल्य.

अध्याय 10 के अनुबंध

चित्र अ10.1: एसटीसीबी और आरआरबी को अल्पावधि ऋण का संवितरण (₹ करोड़)

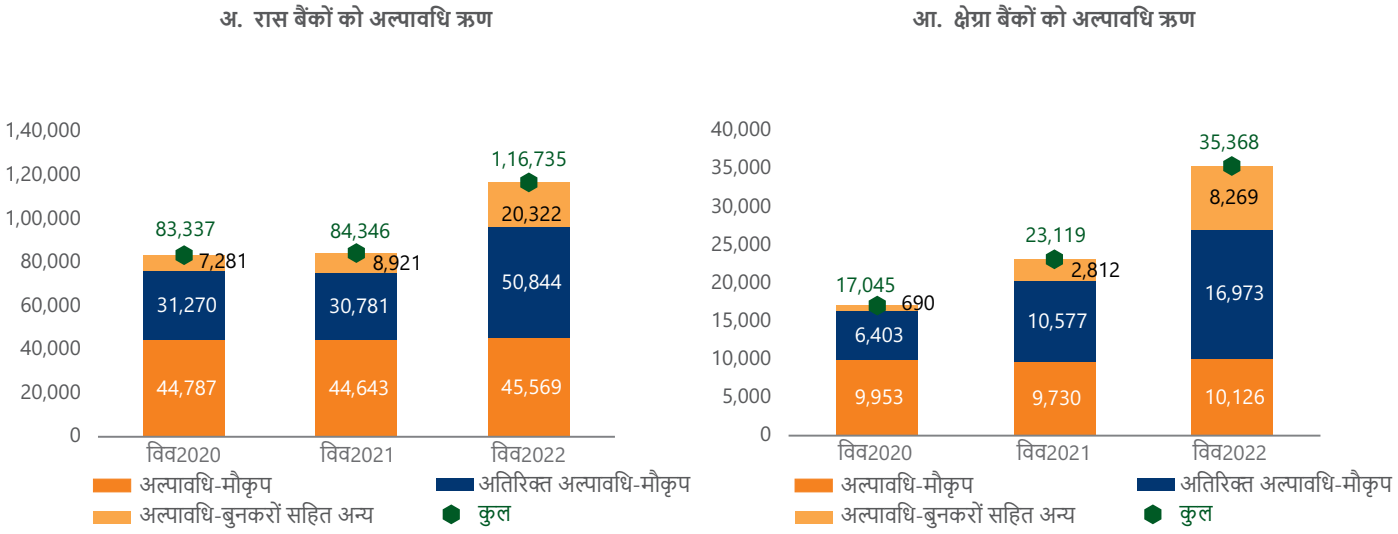

नोट:

1. आरआरबी = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; एसटी = अल्पावधि; एसटीसीबी = राज्य सहकारी बैंक; अल्पावधि-मौकृप = मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण.
2. राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार की अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि और अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त निधि के माध्यम से अल्पावधि-मौकृप का संवितरण किया जाता है.

चित्र अ10.2: एजेंसी-वार संवितरण और दीर्घावधि पुनर्वित्त का हिस्सा

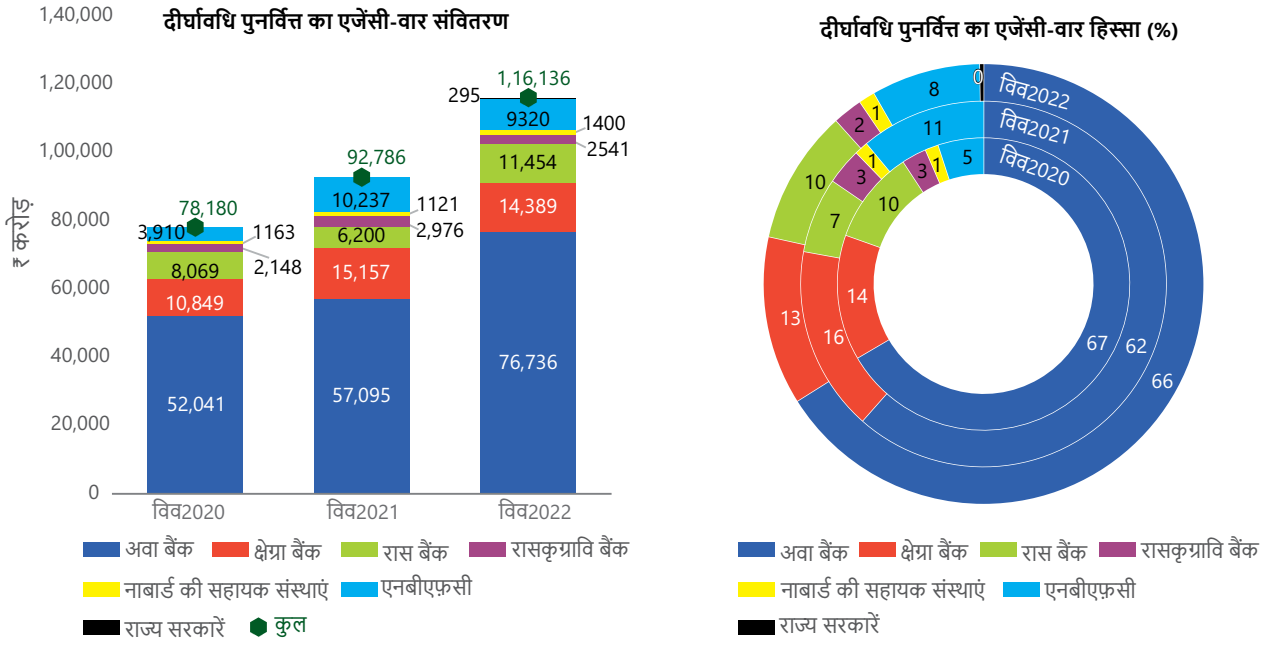

नोट:

1. एलटी = दीर्घावधि; एनबीएफ़सी = गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी; क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक; अवा बैंक = अनुसूचित वाणिज्य बैंक; रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.
2. रास बैंकों में लघु वित्त बैंक शामिल हैं.

चित्र अ10.3: क्षेत्र-वार संवितरण और दीर्घावधि पुनर्वित्त का हिस्सा